उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
पत्रांक2443/VII-2/2015/66–एम.एस.एम.ई./2013
दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिये आवश्यक समयबद्ध अनुज्ञापन, अनुज्ञायें व स्वीकृतियां प्रदान करने के लिये अधिनियमित उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम–2012 के अधीन अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त, 2015 द्वारा गठित मूल नियमावली व तत्क्रम में विभिन्न प्राविधानों को सुगम बनाने हेतु प्राविधानित उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) नियमावली–2015 की व्यवस्थायें अधिसूचना दिनांक 04 नवम्बर, 2015 द्वारा लागू हो गयी हैं।

2 उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न उद्यमों व वाणिज्यिक गतिविधियों संबंधी समस्त निवेश प्रस्ताव उद्योग निदेशालय के अधीन संचालित एकल खिडकी व्यवस्था के अधीन निस्तारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) नियमावली–2015 में निर्धारित व्यवस्थाओं के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की सीमा तक के प्रस्ताव जिला प्राधिकृत समिति तथा अन्य समस्त प्रस्ताव राज्य प्राधिकृत समिति के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे, जिसके लिए क्रमशः जनपद स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय में राज्य उद्योग मित्र प्रकोष्ठ नोडल एजेन्सी होंगे। उद्योग निदेशालय की वेबसाईट www.doiuk.org पर समस्त विभागों से संबंधित चेकलिस्ट तथा उद्योग स्थापना से संबंधित कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 उपलब्ध है। विभिन्न उद्यमों/निवेश से संबंधित प्रस्तावों पर विचार/निर्णय तथा समीक्षा हेतु जिला प्राधिकृत समिति तथा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा 15 दिन के अन्तराल पर प्रत्येक माह 02 बैठकें आयोजित की जायेंगी। उक्त व्यवस्थायें दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी होंगी।

3 इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुविधा की ऑन–लाइन व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित होने तक मैनुअल व्यवस्था लागू रहेगी।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2443(1)/VII-2/2015/66–एम.एस.एम.ई./2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/ प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई.टी. पार्क, देहरादून।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव–मा0 मंत्री, एम.एस.एम.ई. विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।